संघ की राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख बातें IMPORTANT POINTS OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

क) हिंदी को संघ की राजभाषा के रुप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संतिधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक व्यवस्था की गई।

Hindi was accepted as Official Language of the Union on 14th September 1949. Then, section 343 to 351 was provided in the cinstitution regarding Official Language.

ख) भारतीय संविधान की धारा 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी ।

As per section 343(1) of the Indian Constitution, Official Language of the Union shall be Hindi and script Devnagari.

ग) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंको का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

The shape / forms of the numbers used for official purposes of the Union shall be the same as used in international forms.

राजभाषा अधिनियम 1963 Official Languae Act 1963

इस अधिनियम के अनुसार संसद और राज्यों की विधान सभा की सभी कार्रवाइयों की भाषा हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं होगी और उनका अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। According to this Act, Hindi and Reginal languages shall be used for all purposes of Parliament and state legislative Council and English translation shall be used.

पारित होने की तारीख / Date of passing this Act 10-05-1963

लागू होने की तारीख / Date of Implementation 26 -01-1965

कुल धारा / Total no. of sections 09

महत्वपूर्ण धारा / Important sections 3(3)

इस धारा के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है । संकल्प , साधारण आदेश,नियम,अधिसूचनाएं , प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन , प्रेस विज्ञप्तियाँ ।

According to this Act, both Hindi and English language shall be used in the following documents. Resolution, General Orders, Rules, Notifications, Administrative or Other Reports, Press Communique.

भाषा की दृष्टि से पूरे देश को 'क', 'ख', 'ग' तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है। On the basis of languages the whole nation has been divided into three Regions as 'A', 'B','C'.

'क' क्षेत्र / Region 'A'

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh

बिहार Bihar हरियाणा Haryana

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh मध्य प्रदेश Madhya Pradesh

राजस्थान Rajasthan

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह Andaman & Nicobar Islands

'ख' क्षेत्र / Region 'B'

गुजरात Gujrat

महाराष्ट्र Maharashtra

पंजाब Panjab

चंडीगढ़ Chandigadh

' ग' क्षेत्र / Region 'C'

'क' और 'ख' क्षेत्र में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य All states excepting those mentioned under 'A' &'B'

राजभाषा नियम 1976 / Official Language Rules 1976

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर भारत सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाए ।

In exercise of the powers conferred by section 8 of Official Language Act 1963 the Central Government hereby has made the Official Language Rules 1976.

कुल नियम/ Total Rules -- 12

महत्वपूर्ण नियम / Important Rules

नियम - 5 / Rule - 5

हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में । Reply in Hindi for the letters received in Hindi .

नियम - 6 / Rule -6

धारा 3(3) के अधीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों।

Under sub-section (3) of section 3 of the Act , it shall be the responsibility of the officers signing such documents to ensure that such documents are issued both in Hindi and in English .

नियम - 11 / Rule -11

सभी साइन बोर्ड , नामपट्ट ,सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें , परिचय - पत्र ,लेखन - सामग्री , पत्र शीर्ष लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख हिंदी और अंग्रेजी मे लिखी जाएंगी । All sign boards , Name-plates, Notice-boards , Rubber-stamps, Stationary-items , Letter heads and inscriptions on envelops shal be in Hindi and English.

नियम - 12 / Rule -12

अनुपालन का उत्तरदायित्व / Responsibility of compliance

प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह It shall be the responsibility of the administrative head of each office

- यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों का समुचित रुप से अनुपालन हो रहा है ,
 - .to ensure that the provisions of the Act and Rules are properly complied with ,
- इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच का उपाय करें to devise suitable and effective check points for this purpose.

अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं Languages prescribed in the vIII Schedule

असिया
 उड़िया
 उर्दू
 कज्ञड़
 कश्मीरी
 कोंकणी
 गुजराती
 तिलुगु
 पंजाबी
 बंगला

- 12. मराठी 13. मलयालम 14. मणिपुरी
- 15. नेपाली 16. संस्कृत 17. सिंधी
- 18 . हिंदी 19. बोडो 20. संथाली
- 21.
 मैथिली

 22.
 डोगरी

हिंदी

- हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है महर्षि दयानंदसरस्वती
- हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रांतीय भाषाओं को हानि नहीं वरन लाभ है
 अनंत शयनम अय्यंगार
- राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं -- महात्मा गांधी
- हिंदी ही एक भाषा है जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है --- डॉ ग्रियर्सन